

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Execution Application No. 37/2024

In

Original Application No. 162 of 2024



IN THE MATTER OF:

Mohit Rawal and Ors.

...Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh and Ors.

...Respondents

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT  
NO.-4, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD,

I, Ankit Singh, aged about 38 years, S/o Shri Ajit Singh, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Muzaffarnagar (hereinafter UPPCB), do hereby solemnly affirm and state on oath as under :

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That the grievance in the present matter is against establishment of layer poultry farm by Respondent No. 15, in the name of Malik Agro Overseas, in the close proximity of residential areas of

PRERNA TYAGI  
NOTARY  
MUZAFFARNAGAR

4 FEB 2025

Kalamajra and Miyan Kasba Villages, District Shamli, Uttar Pradesh.

3. That vide its order dated 20.02.2024 this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter Hon'ble Tribunal) passed in the Original Application No. 162/2024, Mohit Rawal and Ors. Versus State of Uttar Pradesh and Ors., has directed the UPPCB to do the needful in terms of the above in accordance with law expeditiously ascertain the correct factual position after obtaining the status from the spot and also the status of various environmental clearances which are required by the project proponent and also to take appropriate action in accordance with law, if any violation is found will.

4. That in compliance to the above direction dated 20.02.2024, an inspection of the proposed poultry farm was carried out by the UPPCB on 16.03.2024. During inspection, no construction was found at the proposed site. However, the proposed site was not found in compliance to the siting criteria for construction of layer poultry farm issued by the Central Pollution Control Board (hereinafter CPCB).

That further in pursuance to the inspection, the UPPCB has issued a closure order dated 02.04.2024 against M/s Malik Agro Overseas Khata No. 93, Khasra No. 84M, Rakbai 0.9320 Ha, Khasra No. 84M Rakbai 0.6920 Ha, Total area 1.5610 Ha with direction to not construct layer poultry farm on proposed site i.e. 0.2050 Ha. A copy of closure order is being annexed herewith as Annexure-R4/1.



PRERNA TYAGI  
NOTARY  
MUZAFFARNAGAR  
F'4 FEB 2025


6. That furthermore, after issuance of closure order to the concerned layer poultry farm on the location mentioned above, the applicant again submitted his grievance that apart from the area/land mentioned in the closure order for prohibition of construction of poultry farm, additional Khasra No. 93, 85, 87, 89 was not taken in consideration on which the applicant has proposed to additionally construct the layer poultry farm.
7. That with reference to the above, the UPPCB has carried out the inspection of the above mentioned area along with the complainant on 25.09.2024. During inspection no construction was found on the mentioned additional khasra nos. It is further submitted that the proposed additional khasra nos. was also in violation of the siting criteria guidelines issued by UPPCB for poultry layer farm construction.
8. That in the meanwhile the applicant has institute the present Execution Application stating that the UPPCB has not taken any action against the proposed layer farm and also have not mentioned all the khasra nos. where the poultry layer farm is proposed to be installed and violated the directions of Hon'ble Tribunal issued on 20.02.2024. Considering the present matter this Hon'ble Tribunal has by issuing the notice passed the following direction:
- ...5. *Mr. Pradeep Misra, Advocate accepts notice on behalf of UPPCB and submits that in pursuance to the order of the Tribunal, UPPCB has already passed the order dated 02.04.2024 under Section 31(A) of Air (Prevention*



PRERNA TYAGI  
NOTARY  
MUZAFFARNAGAR  
1-4 FEB 2025

*and Control of Pollution) Act, 1981 prohibiting the project proponent from proceedings further with the project. He is permitted to file the reply in the form of an affidavit disclosing the action taken in pursuance to the order of the Tribunal within six weeks.*

8. That in pursuance to the above the UPPCB vide its letter dated 22.10.2024 has included the additional khasra nos. 93, 85, 87, 89 along with the khasra nos. mentioned in the earlier closure order with direction to not construct layer poultry farm upon any Khasra. A copy of closure order is being annexed herewith as **Annexure-R4/2**.
9. That further the inspection of the site in question was again been inspected by the officials of the UPPCB on 28.01.2025 wherein no construction have been found. A copy of the said inspection report is being annexed herewith as **Annexure-R4/3**.
- That it is evident from the above that the directions issued by this Hon'ble Tribunal has complied by the UPPCB vide its letters dated 02.04.2024 and 22.10.2024, respectively contained as annexure no.R4/2 and R4/3.
11. That the above response on behalf of the Respondent-4, Uttar Pradesh Pollution Control Board, is submitted before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.



PRERNA TYAGI  
NOTARY  
MUZAFFARNAGAR

1. 4 FEB 2025

*Deponent*  
Deponent


VERIFICATION

Verified at **Muzaffarnagar** on this the **4<sup>th</sup>** day of **February, 2025** that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY

*debut.s*

Deponent



Prerna Tyagi  
I, the deponent, have satisfied myself by examining the contents of the affidavit which has been read to me and retained by me to the deponent fee of Rs. ....  
NOTARY DISTRICT MUZAFFARNAGAR

Identified by *[Signature]*

PRERNA TYAGI  
NOTARY  
MUZAFFARNAGAR

F- 4 FEB 2025

**ACTION TAKEN REPORT IN COMPLIANCE TO THE DIRECTION ISSUED BY HON'BLE NGT ON 20.02.2024 MOHIT RAWAL VS STATE OF UP AND CONSEQUENT E.A. NO. 37/2024**

**BACKGROUND**

In this original application, the applicant has raised the grievance against illegal establishment of Layer Poultry Farm by M/s Malik Agro Overseas, Vill. Myan Kasba, Tehsil Unn, Shamli not in compliance with the siting criteria mentioned in the guidelines for establishment of layer poultry farm.

**Direction issued by Hon'ble NGT on 20.02.2024**

*"....3. The original application was disposed of by directing the Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) to consider the grievance of the applicant and do the needful.*

*4. Submission of the applicant is that in compliance of the order of the Tribunal, no action has been taken by the UPPCB.*

*5. Mr. Pradeep Misra, Advocate accepts notice on behalf of UPPCB and submits that in pursuance to the order of the Tribunal, UPPCB has already passed the order dated 02.04.2024 under Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 prohibiting the project proponent from proceedings further with the project. He is permitted to file the reply in the form of an affidavit disclosing the action taken in pursuance to the order of the Tribunal within six weeks...."*

**ACTION TAKEN REPORT IN COMPLIANCE TO ORDER PASSED BY HON'BLE NGT**

In compliance of the NGT order dated 20.02.2024, the inspection of the proposed poultry farm was carried out by UPPCB on 16.03.2024. During inspection, no construction was found at the proposed site of construction of

poultry farm. However, the proposed site was not found in compliance to the siting criteria for construction of layer poultry farm issued by CPCB.

Hence, in reference to the inspection, recommendation for closure was issued by Regional Officer, UPPCB, Muzaffarnagar dated 19.03.2024 in reference to which, H.O. UPPCB, Lucknow issued closure order dated 02.04.2024 to M/s Malik Agro Overseas on Khata No. 93, Khasra No. 84M, Rakbai 0.9320 Ha, Khasra No. 84M Rakbai 0.6920 Ha, Total area 1.5610 Ha, out of which 0.2050 Ha land proposed for construction of poultry farm was issued closure order with direction to not construct layer poultry farm on this mentioned proposed site. Copy of closure order is annexed as **Annexure-R4/1**.

After issuance of closure order to the concerned layer poultry farm on the location has mentioned above in the closure order, the applicant again submitted grievance and complaint that apart from the area/land mentioned in the closure order for prohibition of construction of poultry farm, additional Khasra No. 93, 85, 87, 89 was not taken in consideration on which the applicant has proposed to additionally construct the layer poultry farm.

In reference to the above, Regional Office, UPPCB, Muzaffarnagar carried out the inspection of the above mentioned area along with the complainant himself on 25.09.2024. However, during inspection, no construction was found on the mentioned additional khasra nos. However, the proposed additional khasra nos. was also in violation of the siting criteria guidelines issued by UPPCB for poultry layer farm construction.

Hence, on recommendation of Regional Officer, UPPCB, Muzaffarnagar, H.O. UPPCB, Lucknow vide letter dated 22.10.2024 have included the additional khasra nos. 93, 85, 87, 89 along with the khasra no. mentioned in the earlier closure order. Further, prohibiting any type of construction of poultry layer farm any piece of khasra nos. Copy of closure order is annexed as **Annexure- R4/2**.

The proposed location was again inspected by the officers of UPPCB, Muzaffarnagar and no construction have been found. Copy of inspection report is annexed as **Annexure-R4/3**.

### **CONCLUSION**

The applicant has submitted an Execution Application stating that the Board has not taken any action against the proposed layer farm and also have not mentioned all the khasra nos. where the poultry layer farm is proposed to be installed and violated the directions of Hon'ble NGT issued on 20.09.2024.

However, the applicant have submitted execution application not considering the actions taken by UPPCB.

It is clear that in compliance to the Hon'ble NGT directions, UPPCB has issued closure directions on all the khasra nos. where the proposed poultry farm was proposed to be install and during the latest inspection, no activity have been found on the land in compliance of Board's direction dated 02.04.2024 and 22.10.2024.

The above report is put up for perusal and necessary action.



**(Raja Gupta)**  
J.E.



**(Ankit Singh)**  
Regional Officer



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure R4/1

08.04.24

9

संदर्भ संख्या H08821 / सी-3 / वायु 609/सहारनपुर/2024

दिनांक 09/4/2024

4236/ST

सेवा में,

श्री 0 मलिक एग्रो ओवरसीज केरदू  
ग्राम म्यान कस्बा, तहसील-ऊन, जिला शामली।  
द्वारा संस्थापक श्री शशांक मलिक पुत्र श्री सुभाष मलिक,  
निवासी 26 साउथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर,  
तहसील व जिला सहारनपुर,

पंजीकृत

- EVO  
- SRMOOM  
- ROU PPEB

श्री उपायुक्त का कार्यालय

@

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ.ए. सं0-162/2024 मोहित रावल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2024 के के सुसंगत अंश निम्नवत् है-

BW  
02-4-24

- 1- "In this original application, the Applicant has raised the grievance against establishment of layer poultry farm by Respondent No. 15, in the name of Malik Agro Overseas, in the close proximity of residential areas of Kalamajra and Miyan Kasba Villages, District Shamli, Uttar Pradesh.
- 2- The Applicant has alleged that the said project proponent had illegally availed approval and there is a lack of prior Environmental Clearance (EC) and violation of conditions stipulated by Respondent No. 14 in the process of establishment of layer poultry farm.
- 3- The OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms. Having regard to the nature of grievance raised in the OA, we are of the opinion that the issue needs to be first looked into by the Member Secretary, State Pollution Control Board who will ascertain the correct factual position after obtaining the status from the spot and also the status of various environmental clearances which are 2 required by the project proponent and, if any, violation is found will take appropriate action in accordance with law.
- 4- Hence, we dispose of the OA directing the Member Secretary, SPCB to do the needful in terms of the above in accordance with law expeditious----

उपरोक्त के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा संदर्भित प्रस्तावित उद्योग स्थल का निरीक्षण दिनांक-16.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि प्रश्नगत पॉल्ट्री फार्म की स्थापना के सम्बन्ध में कोई भी निर्माण कार्य होता हुआ नहीं पाया गया। शिकायतकर्ता द्वारा हस्तागत कराये गये संदर्भित स्थल की रजिस्ट्री/दस्तावेज के अनुसार जनपद शामली के तहसील ऊन, परगना बिडौली, ग्राम कालामजरा के खाता सं0-93, खसरा सं0-84म रकबई 0.9320 हे0 व खसरा 84म रकबई 0.6290 हे0 कुल रकबा 1.5610 हे0 में से 0.2050 हे0 में 0 मलिक एग्रो ओवरसीज केरदू द्वारा संस्थापक श्री शशांक मलिक पुत्र श्री सुभाष मलिक निवासी 26 साउथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर तहसील व जिला सहारनपुर द्वारा भूमि को उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति 2022 योजना के अन्तर्गत एक कॉमर्शियल लेयर फार्म की स्थापना के लिए क्रय किया गया है, जिसकी पुष्टि मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के पत्र दिनांक 13.06.2023, जोकि रजिस्ट्रार तहसील ऊन जनपद शामली को संबोधित है, में उल्लेख किया गया है कि "उ.प्र. कुक्कुट विकास नीति-2022 के अन्तर्गत श्री शशांक मलिकपुत्र श्री सुभाष मलिक, निवासी 26 साउथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर द्वारा मलिक एग्रो ओवरसीज के नाम से ग्राम-म्यान कस्बा, पोव-बिडौली, ऊन शामली में 60000 पक्षियों की 01 कामर्शियल लेयर इकाई स्थापित करने हेतु एम.ओ.यू. नं. 23/AH/0000014447 पर हस्ताक्षर किये हैं," से भी होती है। बोर्ड द्वारा उक्त स्थल पर पॉल्ट्री फार्म निर्माण के सम्बन्ध में स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं है। निरीक्षण के समय पाया गया कि प्रश्नगत स्थल से ग्राम काला माजरा की आबादी लगभग 300 मीटर तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय की दूरी लगभग 200 मीटर उत्तर दिशा में एवं ग्राम म्यान कस्बा की आबादी लगभग 300 मीटर

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010

I.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010

पश्चिम-दक्षिण दिशा में स्थित है। स्थल पॉल्ट्री फार्म स्थापना के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा जारी गाईडलाइन जनवरी 2022 में बिन्दु सं0-7 पर उल्लिखित साइटिंग क्राइटेरिया के अनुरूप नहीं है।

अतः ऊक्त संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी मुजफ्फरनगर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 19.03.2024 के आधार पर साइटिंग क्राइटेरिया के विपरीत स्थल पर स्थापित हो रहे पोल्ट्री फार्म को जनहित एवं जनस्वास्थ्य को बनाये रखने के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपके प्रस्तावित उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं-

1. जनपद शामली के तहसील ऊन, परगना बिडौली, ग्राम कालामजरा के खाता सं0-93, खसरा सं0-84म रकबई 0.9320 हे0 व खसरा सं0 84म रकबई 0.6290 हे0 कुल रकबा 1.5610 हे0 में से 0.2050 हे0 भूमि पर प्रस्तावित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म का किसी प्रकार का निर्माण कार्य कदापि न किया जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जारी निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण 15 दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में आपके प्रस्तावित उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

*Atulur yadav*  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, शामली।
2. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, शामली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी निर्देश का समयबद्ध रूप से अनुपालन कराना सुनिश्चित करे।

*Atulur yadav*  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)

o/c *[Signature]*

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

11

29-10-24

Annexure R4/2

संदर्भ संख्या: 1189/19 / सी-3/ वायु-609 / सहा0/24 दिनांक: 22/10/2024

पंजीकृत

सेवा में

श्री 0 मलिक एग्रो ओवरसीज,  
ग्राम म्यान करवा, तहसील-ऊन, जिला-शामली,  
द्वारा संस्थापक श्री शशांक मलिक पुत्र श्री सुभाष मलिक,  
निवासी 26, साउथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर। 987720291

उपरोक्त विषयक निम्न अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत निर्देश के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 08871/सी-3/वायु-609/सहा0/24 दिनांक 02.04.2024 दिनांक 02.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से आपको वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किये गये हैं। जोकि वर्तमान में प्रभावी है।

"जनपद-शामली के तहसील ऊन परगना बिडौली, ग्राम-काला माजरा के खाता सं0-93, खसरा सं0 84म रकबई 0.9320 हे0 व खसरा सं0 84म रकबई 0.6290 हे0 कुल रकबा 1.5610 हे0 में से 0.2050 हे0 भूमि पर प्रस्तावित पॉल्ट्री फार्म/लेयर फार्म का किसी प्रकार का निर्माण कार्य कदापि न किया जाए।"

क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर ने अपने पत्र दिनांक 07.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जनपद-शामली संदं सं0 60000240181068 एवं आईएमएस पोर्टल संदर्भ सं0 334417687 के माध्यम से प्राप्त शिकायत में सूचित किया गया है कि श्री 0 मलिक एग्रो ओवरसीज करेटू, ग्राम-म्यान करवा, तहसील-ऊन, जिला-शामली को बोर्ड द्वारा जारी निर्देश पत्र दिनांक 02.04.2024 में उल्लेखित खसरा संख्याओं के अतिरिक्त अन्य खसरा सं0 93, 85, 87, 89 पर सी0बी0सी0बी0 की गार्डइलाइन के विपरीत पॉल्ट्री फार्म/लेयर फार्म के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जिसका संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता के साथ स्थल का निरीक्षण दिनांक 25.09.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर पॉल्ट्री फार्म/लेयर फार्म का निर्माण कार्य होते हुए नहीं पाया गया। शिकायतकर्ता द्वारा दिखाये गये खसरा सं0 84 की गूगल मैप के अनुसार ग्राम-काला माजरा की आबादी से लगभग 300 मी0 स्कूल से 200 मी0 एवं म्यान करवा की आबादी से दूरी 300 मी0 खसरा सं0 85 की ग्राम-काला माजरा की आबादी से लगभग दूरी 300 मी0, स्कूल से 252 मी0 एवं म्यान करवा की आबादी से दूरी 440 मी0, खसरा सं0 87 की ग्राम-काला माजरा की आबादी से लगभग दूरी 340 मी0, स्कूल से 330 मी0 एवं म्यान करवा की आबादी से दूरी 450 मी0, खसरा सं0 89 की ग्राम-काला माजरा की आबादी से लगभग दूरी 340 मी0, स्कूल से 490 मी0, खसरा सं0 93 की ग्राम-काला माजरा की आबादी से लगभग दूरी 370 मी0, स्कूल से 360 मी0 एवं म्यान करवा की आबादी से दूरी 490 मी0 है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायती स्थल की रजिस्ट्री/दस्तावेज इस्तगत कराये गये, जिसके अनुसार खाता सं0-31 खसरा सं0 93, रकबा 0.5200 हे0 श्री 0 मलिक एग्रो ओवरसीज केयर टू द्वारा संस्थापक श्री शशांक मलिक पुत्र श्री सुभाष मलिक, निवासी 26, साउथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर द्वारा भूमि को उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति 2022 योजना के अन्तर्गत एक कार्मिशियल लेयर फार्म की स्थापना के लिए कय किया गया है तथा प्रस्तुत बैनाम में यह भी वर्णित किया गया है कि खाता सं0 84 की भूमि को पूर्ण में कय कर लिया गया है और आज खसरा सं0 93 की भूमि को बैनाम हाजा द्वारा कय किया जा रहा है और भूमि खसरा सं0 84 व 93 के बीच शेष भूमि खसरा सं0 85, 87 व 89 की भूमि का कय कर लेयर फार्म द्वारा गतिष्ठा में कय किया जाकर सभी खसरों की भूमि में एक कार्मिशियल लेयर फार्म भूमि की स्थापना की जायेगी। उक्त स्थल पॉल्ट्री फार्म स्थापना के सम्बन्ध में कन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गार्डइलाइन जनवरी 2022 में दिव सं0 7 पर उल्लेखित साइटिंग काइटेरिया के अनुस्यू नही है व उक्त स्थल पर पॉल्ट्री फार्म निर्माण की स्थापना हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नही किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा बोर्ड के निर्देश पत्र दिनांक 02.04.2024 में उल्लेखित खसरा संख्याओं के अतिरिक्त खाता सं0 31 खसरा सं0 93 तथा खसरा सं0 85, 87 एवं 89 पर भी प्रस्तावित पॉल्ट्री फार्म/लेयर फार्म का किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किये जाने हेतु बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निर्देश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उक्त संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 07.10.2024 के आधार पर साइटिंग काइटेरिया के विपरीत खाता सं0 31 खसरा सं0 93 तथा खसरा सं0 85, 87 एवं 89 पर प्रस्तावित पॉल्ट्री फार्म/लेयर फार्म के निर्माण को जनहित एवं जनसुखार्थ को बनाये रखने के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमानापसन्त आपके प्रस्तावित उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं-

पता - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
फोन - 0522 2720828, 2720831  
ईमेल - info@uppcb.com  
वेबसाइट - www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone - 0522 2720828 2720831  
E-mail - info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com

②

3927/S.T

- ADM (F)
- CVO
- ROUPPER
- SDM cum

अनुमोदित/सि  
आपकी भाषा

Dm  
24-10-24

1. बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 08871/सी-3/वायु-609/सहा0/24 दिनांक 02.04.2024 जिसके माध्यम से आपको वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथारसंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत जनपद-शामली के तहसील ऊन परगना विडौली, ग्राम-काला माजरा के खाता सं0-93, खसरा सं0 84म रकबई 0.9320 हे0 व खसरा सं0 84म रकबई 0.6290 हे0 कुल रकबा 1.5610 हे0 में से 0.2050 हे0 भूमि पर प्रस्तावित पॉल्ट्री फार्म/लेयर फार्म का किसी प्रकार का निमाण कार्य कदापि न किया जाए का निर्देश जारी किये गये है, प्रभावी रहेगा, उक्त के अतिरिक्त खाता सं0 31 खसरा सं0 93 तथा खसरा सं0 85, 87 एवं 89 पर भी प्रस्तावित पॉल्ट्री फार्म/लेयर फार्म हेतु किसी प्रकार का निर्माण कार्य कदापि न किया जाए का भी निर्देश तत्काल प्रभावी से जारी किये जाते है।

अतः उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जारी निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण 15 दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में आपके प्रस्तावित उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथारसंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दो जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा।

Atulish yadav  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 जिलाधिकारी, शामली।
- 2 मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, शामली।
- 3 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग को जारी निर्देश का समयबद्ध रूप से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

Atulish yadav  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3


Atulish yadav

**मै0 मलिक एगो ओवरसीज ग्राम म्यान कस्बा, तहसील-ऊन, जिला शामली की स्थापना के सम्बन्ध में नवीनतम निरीक्षण आख्या।**

13

उपरोक्त विषयक इकाई मै0 मलिक एगो ओवरसीज ग्राम म्यान कस्बा, तहसील-ऊन, जिला शामली की स्थापना खसरा नं0-84, 85, 93, 87, 89 पर न किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 22.09.2024 के द्वारा निर्देश जारी किये गये है। तत्क्रम में आपके आदेशानुसार उक्त खसरा नम्बरों के स्थल का नवीनतम निरीक्षण दिनांक 28.01.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त सभी खसरा संख्याओं में किसी प्रकार का इकाई निर्माण सम्बन्धी कार्य किया जाता हुआ नहीं पाया गया तथा खसरा संख्याओं के खेतों में कृषि कार्य होते हुए पाया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् हैं-

खसरा सं0-84



खसरा सं0-85



खसरा सं0-87



खसरा सं0-89



खसरा नं0-93



उपरोक्तानुसार नवीनतम निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

क्षेत्रीय अधिकारी

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
(दिवाकर देव गहलौत)  
जे0आर0एफ0

*[Handwritten signature]*  
(राजा गुप्ता)  
अवर अभियन्ता